

176866 - क्या विद्वानों की यह शर्त लगाने पर सर्वसहमति है कि मोज़े को दोनों टखनों को ढांकने वाला होना चाहिए?

प्रश्न

मैं ने मोज़ों पर मसह करने के मुद्दे पर एक शोध किया है, चारों मतों का कहना है कि: मोज़े के लिए ज़रूरी है कि वह टखने को ढांक ले। जबकि मुझे शैख अल्बानी की एक किताब मिली जिसमें उन्होंने कहा है कि उस जूते/मोज़े पर मसह करना संभव है जो टखने को नहीं ढांकता है, और यह राय इजमाअ (सर्वसम्मति) के विरुद्ध है। आपसे अनुरोध है कि मेरे लिए इस मामले को ठीक से स्पष्ट करदें।

विस्तृत उत्तर

सबसे पहले :

चारों मतों का इस बात पर मतैक्य है कि मोज़ों पर मसह करने की शर्तों में से यह भी है कि वे उस जगह को ढांके हुए हों जिसका धोना फर्ज़ है – यानी क़दम के साथ दोनों टखने -, यदि वे दोनों टखनों को ढांके हुए न हो तो उन पर मसह करना सही नहीं है। इसे बुजू पर कियास किया गया है ; तथा इसलिए कि जो अंग खुला हुआ है उसका फर्ज़ धोना है और जो ढंका हुआ है उसपर मसह करना फर्ज़ है। तथा बदल (अर्थात् मसह) और जिससे बदला गया है (अर्थात् धोना) दोनों को एक अंग में एकत्रित करना संभव नहीं है।

देखिए : खरशी की शरह "मुख्तसर खलील" (179), हाशिया क़लयूबी व उमैरह (1/68), "अल-मौसूअतुल फिक्रिया" (37/264).

दूसरा :

इस मसले में इजमाअ (सर्वसहमति) नहीं है, बल्कि विद्वानों के बीच मतभेद मौजूद है। कुछ विद्वानों ने मोज़े पर मसह करना जायज़ ठहराया है, चाहे वह दोनों टखनों से नीचे ही क्यों न हो, यह इब्ने हज़म का कथन है और औज़ाई से भी उल्लेख किया गया है।

जबकि कुछ विद्वानों ने इससे मना किया है, जैसाकि चारों मतों के विद्वानों का मत है।

"अल-मुगानी" (1/80) में आया है : (मोज़ों या उनके क़ायम म़काम पर ही मसह किया जायेगा ; जैसे कि मक्तुअ या उसके समान, जबकि वह दोनों टखनों से ऊपर हो।) इसका अर्थ यह है, जबकि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान अल्लाह के पास है, कि फर्ज़ की जगह को ढांकने में, उसे पहन कर चलने के संभावित होने, और अपने आप स्थिर रहने में मोज़े के समान और क़ायम म़काम हो। 'मक्तुअ' उस मोज़े को कहते हैं जिसकी पिंडली छोटी हो। उसके ऊपर मसह करना जायज़ है जब वह फर्ज़ की जगह को ढांकने वाला हो, उससे दोनों टखने न दिखाई देते हों; क्योंकि वह तंग या कसा हुआ होता है। यही बात इमाम शाफ़ेई और सौर ने कही है। यदि वह दोनों टखनों से नीचे

कटा हुआ है, तो उस पर मसह करना जायज़ नहीं है, यही मालिक से वर्णित सहीह कथन है। तथा उनसे और औज़ाई से मसह के जायज़ होने का कथन भी वर्णित है; क्योंकि वह भी मोज़ा है जिसमें चलना संभव है, अतः वह टखनों को ढांकने वाले के समान है। और हमारा तर्क यह है कि वह फर्ज़ की जगह को नहीं ढांकता है, इसलिए वह जूतों के समान है।'' अंत हुआ।

इब्ने हज़म रहिमहुल्लाह ने फरमाया : ''यदि दोनों मोज़े टखनों से नीचे कटे हुए हैं तो उन पर मसह करना जायज़ है। यही औज़ाई का भी कथन है। उनसे रिवायत किया गया है कि उन्होंने कहा : मोहरिम दोनों टखनों से नीचे कटे हुए मोज़ों पर मसह करेगा, जबकि उनके अलावा का कथन है कि वह उस पर मसह नहीं करेगा मगर यह कि वे दोनों टखनों से ऊपर हों। अली (अर्थात् इब्ने हज़म) कहते हैं : अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सहीह तरीक़ से वर्णित है कि आप ने दोनों मोज़ों पर मसह करने का आदेश दिया, और आप ने जुर्बी पर मसह किया।'' अगर यहाँ पर (मोज़े की) कोई निर्धारित सीमा होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसे ऐसे ही न छोड़ते। इसलिए स्पष्ट हो गया कि जिसे भी मोज़ा या जुर्बी की संज्ञा दी जाती है या उसे दोनों पैरों में पहना जाता है, तो उस पर मसह करना जायज़ है . . . ''अल-मुहल्ला'' (1/336).

चारों मतों का किसी कथन पर इत्तिफाक कर लेने का अर्थ यह नहीं है कि उसपर सर्वसहमति है। जब खुलफाये राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम का किसी चीज़ पर एकमत होना इजमाअ (सर्वसहमति) नहीं समझा जाता है, तो फिर उनके अलावा का इत्तिफाक तो और भी इजमाअ (सर्वसहमति) नहीं समझा जायेगा।

शैख मुहम्मद अल-अमीन बिन मुख्तार अश-शंकीती रहिमहुल्लाह के ''मुज़क्करतो उसूलिल फिक्रह'' में आया है : ''जम्हूर विद्वानों के मतानुसार किसी ज़माने के अक्सर लोगों के कथन से इजमाअ (सर्वसम्मत) स्थापित नहीं हो सकता। इब्ने जरीर तबरी और अबू बक्र रावी का कहना है : एक या दो आदमियों के विरोध का कोई एतिबार (मान्य) नहीं है। अतः इजमाअ में उनका विरोध आपत्तिजनक नहीं है। इमाम अहमद ने भी इसी का संकेत दिया है। जम्हूर की दलील यह है कि उम्मत के समस्त विद्वानों के कथन का एतिबार है, क्योंकि गलती पर एकत्र होने से बचाव उम्मत के योग को प्राप्त है उसके कुछ को यह प्रतिष्ठा हासिल नहीं है। जबकि दूसरे लोगों ने अक्सर का एतिबार किया है, कमतरीन को निरस्त कर दिया है।'' ''मुज़क्करतो उसूलिल फिक्रह'' (1/156) से अंत हुआ।

तथा उसमें यह भी है कि : ''जम्हूर के निकट चारों खलीफाओं का एकमत, इजमाअ (सर्वसम्मत) नहीं है, सहीह बात यह है कि वह हुज्जत है, इजमाअ नहीं है क्योंकि इजमाअ सब लोगों के मत से होता है।''